न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 139 / 2017 / अपील

1. सुनिता देवी उम्र 40 वर्ष पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 1 रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0।
2. मंजू दाधिच उम्र 36 वर्ष पत्नि दीपक दाधिच जाति ब्राहाम्ण निवासी वार्ड नं. 1 रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0।
3. माया सैनी उम्र 30 वर्ष पत्नि मुकेश कुमार सैनी जाति माली निवासी वार्ड नं. 1 नेहरू मौहल्ला रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0।
4. संध्या देवी उम्र 37 वर्ष पत्नि रामजीलाल जाति जागीड़ वार्ड नं. 1 रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0।

अपीलान्ट

बनाम

1. अनिता उम्र 33 वर्ष पत्नि जयराम जाति खटीक निवासी वार्ड नं. 1 रामगढ शेखावाटी जिला सीकर राज0।
2. उपखण्ड अधिकारी महोदय, फतेहपुर (अध्यक्ष)
3. नरेन्द्र कुमार शर्मा बाल विकाश परियोजना अधिकारी, फतेहपुर (सदस्य सचिव)
4. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रामगढ(सदस्य)
5. प्रियंका वार्ड पार्षद वार्ड नं0 1 रामगढ (सदस्य)
6. बबीता महिला पर्यवेक्षक सेक्टर रामगढ (सदस्य)

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व ब्लाक स्तरीय चयन समिति के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन आदेश दिनांक 26.09.2017 जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का चयन किया गया।

वकील अपीलांट श्री मनोज कुमार शर्मा
वकील रेस्पोडेंट श्री नन्द किशोर

Web Copy - Not Official

निर्णय **दिनांकः–05.07.2018**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण / अपीलांट द्वारा कार्यालय उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी फतेहपुर जिला सीकर की विज्ञप्ति दिनांक 27.07.2017 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु तय समय पर आवेदन जमा करवाया गया था। कार्यालय उपनिदेशक महिला एंव बाल विकास परियोजना अधिकारी फतेहपुर व ब्लॉक चयन समिति ने आवेदिका श्रीमति अनिता देवी को गलत फायदा पंहुचाने हेतु नियमो के विपरित जाकर चयन किया गया है जो अपीलांट के साथ अन्याय है, उक्त चयन निरस्त किये जाने योग्य है। चयनित अभ्यर्थी श्रीमति अनिता देवी को नियमो के विपरीत 10 वी कक्षा उतीर्ण का 1 अंक दिया गया, जबकि निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा जारी दिशा निर्देश

बीपीएल राशनकार्ड भी संलग्न नही किया है, फिर भी अनिता देवी को बीपीएल का 1 अंक दिया गया है। अनिता देवी के आवेदन मे हस्ताक्षर फर्जी है स्वयं के हस्ताक्षर नही है। चयनित अभ्यर्थी अनिता देवी ने विभाग के समक्ष अपना आवेदन अन्तिम तिथि दिनांक 11.08.2017 के बाद मे प्रस्तुत किया है। विभाग द्वारा 10.08.2017 की तारीख आवेदन मे लिखकर शामिल कर लिया गया, जबकि आवेदन के साथ वार्ड पार्षद प्रियंका जो चयन समिति की सदस्य है द्वारा दिनांक 15.08.2017 को जारी किया गया प्रशस्ति पत्र संलग्न है। जिस कारण उक्त चयन निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अपीलांट संख्या 2 मंजु दाधिच वार्ड नं. 1 की निवासी है। जिसके समर्थन में अपीलांट ने अपना राशनकार्ड भी प्रस्तुत किया है, लेकिन उसे वार्ड का निवासी नही माना गया है। अपीलांट संख्या 3 माया सैनी जो चयन प्रक्रिया मे योग्य उम्मीदवार थी, जिनका आवेदन निर्धारित तिथि से पूर्व जमा करवा दिया गया था। अपीलांट संख्या 4 जो कि वार्ड नं0 1 आंगनबाडी मे कार्यरत भी है का आवेदन विभाग द्वारा विज्ञप्ति नही निकलने का हवाला देकर जमा नही किया गया और ना ही विज्ञप्ति की सूचना आंगनबाडी केन्द्र पर लगाई गयी, क्योंकि विभाग व चयन समिति द्वारा अनिता देवी चयनित अभ्यर्थी को गलत फायदा दिये जाने तथा चयन किये जाने की गर्ज से जानबुझकर चयन प्रक्रिया मे शामिल नही किया गया। अतः अपील अपीलान्ट श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ब्लॉक चयन समिति व विभाग द्वारा किये गये चयन को निरस्त फरमाया जाकर निष्पक्ष चयन समिति द्वारा अभ्यर्थी का चयन किये जाने की कृपा करे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि चयनित अभ्यर्थी अनिता देवी 10वी कक्षा उत्तीर्ण होने के बावजूद चयन प्रक्रिया में 1 अंक दिया गया है, जबकि निदेशालय समेकित बाल विकास विभाग, जयपुर द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 09.11.2016 में 10वी कक्षा हेतु कोई अंक निर्धारित नहीं किया गया है। अभ्यर्थी अनिता देवी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु विभाग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 11.08.2017 होने के बावजूद उक्त दिनांक के बाद में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अधिवक्ता रेस्पो. का कथन है कि चयन समिति द्वारा समस्त दस्तावेजो की जांच करने के पश्चात नियमानुसार सही चयन किया गया है जो सही है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। चयनित अभ्यर्थी अनिता देवी द्वारा प्रस्तुत आवेदन परिशिष्ट "अ" के अवलोकन करने पर उक्त आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा कक्षा 10 वर्ष 2002 में उत्तीर्ण होने का उल्लेख किया हुआ है एंव प्रमाण पत्र अंकतालिका माध्यमिक पूरक परीक्षा 2002 की प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। चयन समिति द्वारा चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र में शैक्षणिक योग्यता के अनुसार 1 अंक दिया गया है एवं 1 अंक बीपीएल राशनकार्ड के आधार पर दिया गया है। चयन हेतु मूल्यांकन प्रपत्र में 12वी पास या समकक्ष योग्यता अभ्यर्थी को 1 अंक दिया जाना चाहिए था। बीपीएल राशनकार्ड की अप्रमाणित फोटो प्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। अप्रमाणित दस्तावेज साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है। अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनानुसार अनिता देवी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में दिनांक 10.08.2017 अंकित की गई है एवं उक्त आवेदन के सलंग्न दस्तावेजात में प्रियंका पार्षद वार्ड नं. 1 नगरपालिका रामगढ़ शेखावाटी द्वारा जारी प्रशस्ति पत्र दिनांक 15.08.2017 सलंग्न किया हुआ है। आवेदन दिनांक 10.08.2017 को प्रस्तुत करने पर वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रशस्ति पत्र दिनांक 15.08.2017 आवेदन के सलंग्न होने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया अनिता देवी द्वारा विभाग के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुआ है। इस प्रकार विभाग द्वारा चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं दस्तावेजात की बिना किसी प्रकार की निष्कर्षात्मक जाचं किये एवं मूल्यांकन प्रपत्र का संधारण/अंको का निर्धारण दस्तावेजात की अनदेखी करके और गहराई से अवलोकन किये बिना किया गया है, जो न्याय संगत नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी फतेहपुर द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन आदेश दिनांक 26.09.2017 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है और निर्देशित किया जाता है कि पुनः चयन समिति का गठन किया जाकर नियमानुसार विज्ञप्ति जारी करते हुए विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार चयन सम्बंधी कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official